9.6 हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की कक्षाओं में जाने के लिए यात्रा-भत्ता/सवारी खर्च

हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की कक्षाएं कार्यालय समय में कार्यालयीन परिसरों में ही संचालित की जाती हैं। इन कक्षाओं के लिए नामित प्रशिक्षार्थियों को ड्यूटी पर ही माना जाता है अतः इन कर्मचारियों को सवारी भत्ता उसी प्रकार स्वीकृत किया जाता है जिस प्रकार एक कर्मचारी का सरकारी काम से किसी अन्य स्थान भेजने पर दिया जाता है। यात्रा भत्ता/सवारी खर्च आदि की देयता की अन्य शर्तें इस मद पर लागू नियमों के अनुसार होंगी। हिंदी/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक प्रमाणित करेंगे जिनके आधार पर संबंधित विभाग उस खर्च की प्रतिपूर्ति करेंगे।

(का.ज्ञा.सं.-11016/16/88-रा.भा. (घ) दि० 20-4-89)